IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - सांचौर (343041)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार

मारवाड़ का मित्र

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25

Www.MarwadkaMitra.in

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 23 | अंक 05 | सांचौर, शनिवार, 1 मार्च 2025 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

अवधिपार ऋण नहीं चुकाने पर होगी कार्यवाही

जालोर । जिले की जसवतंपुरा पंचायत समिति अंतर्गत संचालित साविधर बहुउद्देशीय सहकारी समिति की ओर से अवधिपार ऋणी सदस्यों से समय पर ऋण चुकाने की अपील की गई। समिति व्यवस्थापक एवं सीसीबी शाखा जसवतंपुरा ऋण पर्यवेक्षक नीतिराजसिंह भाटी ने बताया कि अवधिपार ऋणी सदस्य सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी, कृषक जिनका ऋण बकाया तथा दूसरी संस्था, बैंक से ऋण ले रखा है वह समय पर अपना ऋण जमा करवाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध विभागीय अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

निष्क्रिय सहकारी समितियों को सक्रिय करें - जिला कलक्टर

जयपुर। जिला सहकारी विकास समिति की बैठक जिला कलक्टर व प्रशासक डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में केन्द्रीय सहकारी बैंक, जयपुर के सभागार में हुई। जिला कलक्टर ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 जिला जयपुर के कैलेंडर, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लोगो और पोस्टर का विमोचन भी किया। इस दौरान जिला कलक्टर ने जिले की सभी निष्क्रिय सहकारी समितियों को सक्रिय करने के निर्देश देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 कैलेंडर में अंकित कार्यक्रम को समयबद्ध रूप से आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये।

सहकारिता वर्ष के अंतर्गत मुंडियाखेड़ा सहकारी समिति में कार्यक्रम का हुआ आयोजन

खैरथल-तिजारा, । अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत मुंडावर कि मुंडियाखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के पंजीयन दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक सहकारिता निरीक्षक आभा अग्रवाल की अध्यक्षता किया गया। इस कार्यक्रम में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई। जिनमें प्रमुख रूप से गोपाल क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र, राष्ट्रीय सहकारी संस्था से जुड़ाव, जैविक कृषि को बढ़ावा, कृषि कार्य हेतु ड्रोन प्रशिक्षण, कृषक समृद्धि केन्द्र, अन्न भंडारण समता वृद्धि आदि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संस्था को प्रोत्साहित किया। साथ ही, कार्यक्रम के दौरान सहकारी संस्थाओं में सदस्य वृद्धि, निष्क्रिय समितियों के पुनर्जीवन एवं सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और सहकारिता को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान समिति के व्यवस्थापक प्रवीन्द्र कुमार, अध्यक्ष सरोज देवी, अन्य समिति व्यवस्थापक एवं क्षेत्रीय किसान इस अवसर पर उपस्थित रहे।

कोलायत विधायक अंशुमानसिंह भाटी के मूल सवाल पर सहकारिता विभाग ने विधानसभा में पेश किया लिखित जवाब

कॉमन कैडर गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियंत्रण व पारदर्शिता के लिए कॉमन कैडर गठन को लेकर सोलहवी विधानसभा के तृतीय सत्र में कोलायत विधायक अंशुमानसिंह भाटी ने तारांकित प्रश्न किया हैं, जिसके प्रतिउत्तर में विभाग ने बताया कि सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियंत्रण एवं पारदर्शिता के लिए कॉमन कैडर गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं । दरअसल, विधायक ने समितियों का नियंत्रण समिति के अध्यक्ष व संचालक मण्डल के अधीन होने से समितियों में आये दिन हो रहे गबन, घोटालो, सहकारी समितियों में भर्ती के लिए आयु सीमा में छुट को लेकर मूल सवाल किया, जिसका आज सदन

कोलायत विधायक अंशुमानसिंह भाटी ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों का नियंत्रण समिति के अध्यक्ष व संचालक मण्डल के अधीन होने से समितियों में आये दिन हो रहे गबन, घोटालो, सहकारी समितियों में भर्ती के लिए आयु सीमा में छुट को लेकर किया मूल सवाल

पटल में विभाग की ओर से जवाब दिया गया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भर्ती की आयु सीमा 21 से 33 वर्ष निर्धारित हैं, इसमें जाति वर्ग में छूट भी नहीं दी जाती है। वही ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भर्ती की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। विभाग की ओर से पेश जवाब के अनुसार, सहकारिता विभाग मेंअन्य विभागों की तरह ही न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान है। अन्य विभागों की तरह ही सहकारिता विभाग में भी श्रेणी वार आरक्षण के अनुसार आयु में छूट का प्रावधान है।

अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी ने दिए अवधिपार ऋणों की शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । केंद्रीय सहकारी बैंक की चितलवाना शाखा परिसर में शाखा कार्यक्षेत्र में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र ने उपस्थित व्यवस्थापकों को राज्य सरकार की एकमुश्त समझौता योजना-2024 के तहत अवधिपार ऋणों की समयबद्धता से शत-प्रतिशत वसूली करने के साथ केंद्र सरकार की

महत्ती पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के कार्य को गति देकर जल्द समस्त पैक्स को गो-लाइव करने के अलावा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवसाय विविधीकरण को बढ़ावा देने पर चर्चा कर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, इस दौरान चितलवाना शाखा कार्यवाहक प्रबंधक अभिषेक सिंह एवं कार्यकारी ऋण पर्यवेक्षक हनुमानसिंह जाट, दूठवा व्यवस्थापक देवाराम, डूंगरी व्यवस्थापक लिखमाराम जाखड़ सहित अन्य समितियों के व्यवस्थापक उपस्थित रहें

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियां से सशक्त होगा सहकारी आन्दोलन - सहकारिता मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान राज्य में सहकारी आन्दोलन को अधिक मजबूत बनाने और अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़नी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास सहकारिता में कायम रहे। सहकारिता मंत्री नेहरू सहकार भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष से संबंधित प्रदेश की वार्षिक कार्ययोजना एवं कैलेण्डर के विमोचन के बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रदेश भर से सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी वीडियो कॉफ्रेंस से माध्यम से शामिल हुए। श्री दक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, लेकिन देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में वर्ष 2025 से ही कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' के

सहकारिता सेक्टर को प्राथमिकता दे रही राज्य सरकार

सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता सेक्टर को प्राथमिकता दे रही है। राज्य बजट में सहकारिता से संबंधित कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं, जिनसे प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट मे ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का दायरा बढ़ाते हुए 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने की घोषणा की गई है। साथ ही, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का भी दायरा बढ़ाकर 2.50 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है। श्री दक ने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप आगामी 2 वर्षों में 2500 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां खुलने से प्रदेश में सहकारिता का मजबूत नेटवर्क स्थापित होगा।

अंतर्गत 54 पहलों के माध्यम से देश में सहकारी सेक्टर सशक्त हो रहा है। जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र का योगदान 40 प्रतिशत हो, इसके लिए सभी को अपनी भूमिका समझते हुए कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करना होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को मजबूती देने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी समझनी होगी। सभी कार्मिक संकल्प लें कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान ज्यादा उत्साह के साथ काम करते हुए सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले होने चाहिए। श्री दक ने नवाचार करने और सहकारी समितियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही, नये को-ऑपरेटिव कोड के माध्यम से खामियों को दूर करने पर भी बल दिया। कार्यक्रम में अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्री इन्दर सिंह, श्री संजय पाठक, श्री भोमाराम एवं श्री संदीप खण्डेलवाल ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान पूरा विभाग दोगुने उत्साह के साथ काम करेगा और राज्य को देश में रोल मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करेगा। इस अवसर पर सभी फंक्शनल अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पैक्स में मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की

मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, यह कहावत कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों पर सटीक बैठ रही हैं। प्रदेश में पैक्स के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार द्वारा जो नवाचार किए गए, वो इन्ही के गले आकर पड़ गए हैं, एक ओर वर्ष 2019 में एफआईजी पोर्टल का नवाचार 8500 में से 2000 पैक्स को मार्च 2023 तक असंतुलन की गर्त में लेकर चला गया, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में एफआईजी पोर्टल सबसे बड़ा बाधक बनकर उबरा हैं क्योकि सोसायटी स्तर पर ब्याज मुक्त योजना में सिर्फ एफआईजी पोर्टल के माध्यम से फसली ऋण व्यवसाय में वसूली एवं वितरण प्रक्रिया निष्पादित होती है, जिसका संपूर्ण डाटा मैनुअल तौर पर एक-एक करके केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन के ईआरपी पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग करना पड़ रहा हैं, इतना ही नहीं ब्याज अनुदान के लिए केसीसी आईएसएस पोर्टल पर भी निर्धारित समय में डाटा मैपिंग का कार्य मैनुअल निष्पादित करना पड़ रहा है। प्रायः प्रदेश की 3000 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पद रिक्त की स्थिती बनी हुई हैं, जबकि 35 लाख से अधिक किसानों का डाटा सीजन वार अलग-अलग पोर्टल पर कई बार अपलोड़ करना पड़ रहा है। वही देश से लेकर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 मनाने का सूचना तंत्र के माध्यम से बड़ा शोरगुल सुनाई दे रहा हैं, लेकिन राजस्थान का सहकारिता विभाग तीन पैर वाले बैल पर बैठकर पैक्स कंप्यूटराईजेशन योजना को सफल बनाने प्रयास कर रहा हैं, यह वह बैल हैं, जिसका एक पैर यानि पैक्स जमीन में धसने जा रहा हैं और केवल तीन पैर ही बचे हुए है। प्रदेश में किसानों को साहुकार प्रथा से बचाने के लिए जो कृषि ऋणदात्री सहकारी सोसायटी शुरु हुई थी, वह वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहें व्यापक सहकारिता के शोरगुल में अपना अस्तित्व बचाने के लिए जुझ रही है। विचारणीय तथ्य हैं कि जिन्ह पैक्स को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार अनेक प्रयास कर रही हैं, तो 2000 पैक्स असंतुलन में कैसी पहुंची ? इसका जवाब राज्य के त्रि-स्तरीय ढांचे की शीर्ष सहकारी बैंक के पास ही हैं क्योकि असंतुलन को लेकर शीर्ष सहकारी बैंक स्तर से ही कमेटी का गठन हुआ है।

खेती की सेहत सुधारने की कोशिश

> सरकार ने पोषण आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना भी शुरू की है। इसमें उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 21 उर्वरकों को एनबीएस योजना के दायरे में लाया जा चुका है। मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए मोदी सरकार फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। इसके तहत सरकार ने दलहनी-तिलहनी फसलों और मोटे अनाजों के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी की है।

रमेश कुमार दुबे

विश्व की ढाई प्रतिशत जमीन पर दुनिया की 17.8 प्रतिशत जनसंख्या का पेट भरना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब तक देश के किसान इस चुनौती पर खरे उतरे हैं, लेकिन मिट्टी की उर्वरता में ह्रास की दर को देखें तो भविष्य की राह आसान नहीं है। बेजान होती मिट्टी का ही नतीजा है कि बुजुर्ग यह शिकायत करते रहते हैं कि आखिर अनाज इतने बेस्वाद कैसे होते जा रहे हैं? पहले किसान एक साथ कई फसलें बोते थे और एक ही फसल की सैकड़ों किस्में मौजूद थी। दरअसल हरित क्रांति के दौर में क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकी दशाओं की उपेक्षा कर फसलें ऊपर से थोपी गईं। जैसे दक्षिण भारत में गेहूं और पंजाब में धान की खेती। किसान उन्हीं फसलों की खेती करने लगे, जिनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता हो। इससे दलहनी, तिलहनी फसलें अनुर्वर और सीमांत भूमियों पर धकेल दी गईं। इस प्रकार फसल चक्र थमा, जिससे मिट्टी की उर्वरता, नमी, भुरभुरेपन में कमी आनी शुरू हुई। इसकी भरपाई के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा और हरी खाद, कंपोस्ट आदि भुला दिए गए। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से शुरू में तो उत्पादकता बढ़ी, लेकिन आगे चलकर उसमें गिरावट आने लगी। उदाहरण के लिए 1960 में एक किलो रासायनिक खाद डालने पर उपज में 25 किलो की बढ़ोतरी होती थी, जो कि 1975 में 15 किलो और 2014 में चार किलो ही रह गई। मिट्टी के महत्व का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिस मिट्टी की दो सेंटीमीटर मोटी परत बनने में 500 साल लग जाते हैं, वह महज कुछ ही सेकेंडों में नष्ट हो जाती है।अब तक देश की 9.60 लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो चुकी है। हर साल 5.3 अरब टन मिट्टी की ऊपरी परत जल कटाव से नष्ट हो रही है। दशकों की उपेक्षा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मिट्टी की सेहत की सुध लेते हुए 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में स्वस्थ धरा-खेत हरा थीम के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की। इस योजना के तहत साल में दो बार मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं अर्थात रबी और खरीफ फसल की कटाई के बाद या जब खेत में कोई फसल न लगी हो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी में मौजूद 12 तत्वों की मात्रा दिखाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार होने के बाद कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि सखी आदि किसानों को सुझाव देते हैं कि किस मिट्टी में किस उर्वरक का प्रयोग किया जाए। इससे रासायनिक उर्वरकों के अनावश्यक और असंतुलित इस्तेमाल में कमी आई है। गुजरात में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को मिली सफलता को देखते हुए ही प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू किया। इस योजना के एक दशक पूरा होने तक देश में 24.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। देश भर में 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गईं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल सभी प्रमुख भाषाओं में कार्ड की सुविधा प्रदान करता है। केंद्र सरकार के इस अनूठे कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और एकलव्य माडल स्कूलों को शामिल किया गया है। 2024 तक 1,020 स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। इन स्कूलों में 1,000 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का 2022-23 से मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। सरकार ने जून 2023 में ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (वीएलएसटीएल) के लिए दिशानिर्देश जारी किए। वीएलएसटीएल की स्थापना ग्रामीण युवाओं और समुदाय आधारित उद्यमियों द्वारा की जा सकती है, जिसमें स्वयं सहायता समूह, स्कूल, कृषि विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। फरवरी 2025 तक 17 राज्यों में 665 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। 2023 में सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) के साथ एकीकृत कर दिया, ताकि सभी परीक्षण परिणामों को मानचित्र पर देखा जा सके। सरकार ने पोषण आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना भी शुरू की है। इसमें उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 21 उर्वरकों को एनबीएस योजना के दायरे में लाया जा चुका है। मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए मोदी सरकार फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। इसके तहत सरकार ने दलहनी-तिलहनी फसलों और मोटे अनाजों के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी की है। इससे इन उपजों की सरकारी खरीद में अपेक्षित सुधार आया है। इसी को देखते हुए अब सरकार दलहनी-तिलहनी और मोटे अनाजों की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद-भंडारण-विपणन का देशव्यापी नेटवर्क बना रही है। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि अनाजों के केंद्रीकृत भंडारण पर होने वाला भारी भरकम खर्च भी घटेगा। इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इन गोदामों में स्थानीय उपज को भंडारित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाएगा। विरोधी भले ही पीएम मोदी पर आरोप लगाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि आजादी के बाद वह पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने बंजर होती जमीन की सुध ली।

(लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं)

दांतडा ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक करोड़ से ज्यादा का हुआ गबन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश के नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की दांतडा ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक करोड़ रुपए गबन के लिए व्यवस्थापक केसरसिंह को उत्तरदायी ठहराया गया हैं, ऐसा सहकारिता विभाग ने विधायक रामस्वरूप लाम्बा के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर लिखित में बताया हैं, दरअसल, विधायक रामस्वरूप लाम्बा ने सोलहवी विधानसभा के तृतीय सत्र में विधानसभा सचिव को राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया, संचालन संबंधी नियम 131 के तहत विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में दांतडा ग्राम सेवा सहकारी समिति में भ्रष्टाचार के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजा, जिसके प्रतिउत्तर में सहकारिता विभाग ने हाल ही में लिखित में बताया किया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत 11 दिसंबर 2024 को जांच परिणाम जारी कर सदस्यो की जमा राशि एवं विनियोजन की अंतर राशि 1 करोड़ 6 लाख 58 हजार 658 रुपए के गबन के लिए व्यवस्थापक केसरसिंह को उत्तरदायी ठहराते हुए मय ब्याज वसूली के निर्देश दिये, साथ ही डी.ए.पी. व यूरिया के भौतिक सत्यापन के वक्त खाद स्टॉक शोर्ट होने के कारण 4 लाख 79 हजार 840 रुपये के गबन के लिए रणजीत जाट सेल्समेन को उत्तरदायी ठहराते हुए वसूली के निर्देश दिए है। विभाग के अनुसार, प्रकरण को अधिनियम की धारा 57 में दर्ज कर धारा 57 (1) में जांच की जा रही है। वही उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अजमेर ने व्यवस्थापक केसरसिंह की परिसत्पतियों की कुर्की के लिए धारा 101 में 12 फरवरी 2025 को आदेश जारी किए है। इसके अलावा समिति अध्यक्ष मानसिंह द्वारा व्यवस्थापक केसरसिंह के विरुद्ध प्रकरण में 12 फरवरी 2025 को पीसांगन पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है।

सहकारिता विभाग ने विधायक रामस्वरूप लाबा के विधानसभा में लगाए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर किया खुलासा

नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की दांतडा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुआ 1 करोड़ से ज्यादा का गबन के लिए व्यवस्थापक केसरसिंह को ठहराया उत्तरदायी

राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने जारी की परीक्षा तिथियां

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद सहकारी बैंकों, अपेक्स बैंक सहित राजफैड में भर्ती होने जा रही हैं, इसमें चयन की जिम्मेदारी इंडियन बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन बोर्ड को सौंपी गई है। बोर्ड अगले मार्च माह के अंतिम सप्ताह एवं अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में प्रदेश के विभिन्न जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंकों राजस्थान राज्य सहकारी बैंक सहित राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय सहकारी संघ में प्रबंधक से लेकर अकाउंटेंट तक के अधिसूचित पदों को भरने के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि इन भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ (राजफैड) में 49 तथा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपक्स बैंक) एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में 449 पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि राजफैड में जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट्स ऑफिसर, एनिमल न्यट्रिशन ऑफिसर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट मैनेजर (क्वालिटी कंट्रोल) एवं ऑपरेटर (कैटल फीड) के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 26 मार्च, 2025 को किया जाएगा। जबकि, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर (जनरल), इन्फोर्मेटिक असिस्टेंट एवं फिटर के पदों हेतु परीक्षा 27 मार्च, 2025 को आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार, अपेक्स बैंक एवं विभिन्न जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग असिस्टेंट पद के लिए भर्ती परीक्षा 1 अप्रेल, मैनेजर पद के लिए 5 अप्रेल एवं सीनियर मैनेजर व कम्प्यूटर प्रोग्रामर पद के लिए 13 अप्रेल, 2025 को आयोजित की जाएगी। गौरतलब हैं कि राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से अपेक्स बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राजफैड के 14 विभिन्न श्रेणियों में 498 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर पात्र अभ्यर्थी से 11 जनवरी 2025 तक आवेदन मांगे गए थे । वही सहकारी भर्ती बोर्ड भर्ती द्वारा आवेदन से लेकर परीक्षा सहित अंतिम परिणाम ऑनलाइन प्रक्रिया से संपादित किया जा रहा हैं, साथ ही चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता एवं प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिये भर्ती बोर्ड द्वारा चयन प्रक्रिया को आईबीपीएस एजेन्सी के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। आईबीपीएस एजेन्सी देश की राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंकों के लिये विभिन्न ग्रेड के ऑफिसर्स के लिये भर्ती संबंधी कार्य को करती है।

केंद्रीय सहकारी बैंकों को जारी हुई 232 करोड़ के ब्याज अनुदान की राशि

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में ब्याज मुक्त योजनाज में वितरित ऋणों की समय पर वसूली प्राप्त होने की एवज में राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान देने का प्रावधान के क्रम में राज्य सरकार ने हाल में 232 करोड़ रुपए जारी किए हैं, यह राशि पिछले दो साल से लंबित थी, जिसको लेकर सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने निरंतर सहकारिता विभाग से लेकर सरकार तक बकाया राशि जारी करवाने की मांग उठा रखी थी । वही गत दिनों राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत ने सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव से मुलाकात कर प्रदेश में लंबे समय से बकाया ब्याज अनुदान की राशि जारी करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा था । हालांकि प्रदेश के सहकारिता विभाग में यह पहला मौका हैं कि निरंतर इस मामले में पैरवी के चलते जनवरी एवं फरवरी माह में अलग-अलग एडवाइजरी के माध्यम से सरकार द्वारा ब्याज मुक्त योजना अंतर्गत फसली ऋणों की समय पर वसूली की एवज में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान का भुगतान किया है।

किश्तों में जारी हुई राशि

मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी माह में 60 करोड़ 20 लाख, तो 10 फरवरी को 52 करोड़ 22 लाख एवं 13 फरवरी को 60 करोड़ वही हाल ही में 18 फरवरी को भी 60 करोड़ की राशि जारी की गई हैं, कुल मिलाकर 232 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सरकार की ओर से 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान पेटे जारी की गई है। हालांकि इसमें 2 प्रतिशत राशि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को देय होगी ।

सूत्रों ने मकड़जाल को समझने के लिए किया आरटीआई का प्रयोग

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में फसली ऋण व्यवसाय पर देय ब्याज अनुदान की राशि के मकड़जाल को लेकर जोधपुर खंड के सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सूत्रों ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से लेकर नाबार्ड सहित राज्य के वित्त विभाग से पिछले छह सालों में केंद्रीय सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान पेटे जारी राशि की विवरणी आरटीआई के माध्यम से मांगी हैं । सूत्रों का कहना हैं कि ब्याज अनुदान को लेकर चल रही एकतरफा लेटलतीफी की कार्यवाही का विवरण प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही को अंदाम दिया जाएगा ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक आयोजित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय शिकायत

निराकरण समिति की बैठक का आयोजन सोमवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान फसल कटाई प्रयोगों पर संबंधित बीमा कपनियों द्वारा लगाये गये आपत्तियों के निस्तारण हेतु बीमा कपनियों के प्रतिनिधि एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यगण मौजुद रहे। बैठक में शासन सचिव ने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के खरीफ 2023 और रबी 2023-24 की फसल कटाई प्रयोगों की आपत्तियों के निस्तारण हेतु इन जिलों के अधिकारियों एवं बीमा कपनी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर योजना प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फसल कटाई प्रयोगों को पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईडलाइन के अनुसार समय पर संपादित करें। खरीफ 2023 के फसल कटाई प्रयोगों में लापरवाही बरतने वाले जालोर, सीकर, श्रीगंगानगर व जैसलमेर जिलों के 09 कृषि पर्यवेक्षकों को चार्ज शीट देने के निर्देश दियें। साथ ही जालोर, सीकर व जैसलमेर जिलों के 17 पटवारियों को चार्ज शीट देने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर को आदेश दे दिये गये है। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2023 का 1 हजार 557 करोड़ रूपये एवं रबी 2023-24 के 898 करोड़ रूपये के क्लेम पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक कृषकों को वितरित किये जा चुके हैं। शेष फसल बीमा क्लेम की राशि अतिशीघ्र किसानों को वितरित कर दी जायेगी। वर्तमान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों को अब तक लगभग 3 हजार 122 करोड़ रूपये की राशि वितरित की जा चुकी है। बैठक में आयुक्त कृषि सुश्री चिन्मयी गोपाल, विभागीय अधिकारी और इन्श्योरेन्स कपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पैक्स व्यवस्थापकों का प्रशिक्षण व आमुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । राज्य सरकार की सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना एवं केंद्र सरकार की पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना की क्रियावन्यन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए बालोतरा जिले अंतर्गत संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का प्रशिक्षण व आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला मुख्यालय पर बीसीसीबी शाखा बालोतरा परिसर में किया गया । जिसमें बाड़मेर सीसीबी प्रबंध निदेशक वासुदेव पालीवाल ने सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की क्रियान्विति, दस्तावेजीकरण और पात्र गोपालक को ऋण देने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान कर योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला । साथ ही, उन्होने सभी पैक्स को केंद्र सरकार की पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना को गंभीरता से लेते हुए फरवरी माह के अंत तक डीसीटी कार्य पूर्ण करने के साथ मार्च माह समाप्ति तक पैक्स को शत-प्रतिशत गो-लाइव करने के निर्देश दिए है। इस दौरान बालोतरा शाखा प्रबंधक निकलंक जैन, शाखा प्रबंधक कांतिलाल, बैंकिंग सहायक मनीष सऊ, ऋण पर्यवेक्षक पूराराम चौधरी, हरीश कुमार चौधरी, विशन सिंह राजपुरोहित, उत्तम सिंह राजपुरोहित, शैतान राम देवासी सहित बालोतरा द्वितीय, पाटोदी, कल्याणपुर, समदड़ी एवं सिवाना शाखा अंतर्गत संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के समस्त व्यवस्थापक उपस्थित रहें ।

अमानत संग्रहण कार्यक्रम को बनाएं सफल

बैंक के आंतरिक अंकेक्षक अश्विनी पालीवाल ने समितियों की ऑडिट गुणवत्तापूर्वक करवाने, ऑडिट रिपोर्ट यूडीआईएन नंबर सहित प्राप्त करने, आक्षेपों की ठोस पालना व समय पर पूर्ति करने की जानकारी प्रदान की । साथ ही बैठक में सीसीबी प्रबंध निदेशक ने सर्वाधिक अवधिपार ऋण वाली समितियों के व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि अवधिपार ऋण वाले ऋणी सदस्यों को नोटिस जारी कर शत-प्रतिशत वसूली के लक्ष्य पूर्ति करें, साथ ही अमानत संग्रहण कार्यक्रम को सफल बनाने, अमानतों के लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए निर्देश देते हुए उपस्थित व्यवस्थापकों को ऋण व्यवसाय में विविधिकरण करने का आह्वान किया हैं ।

जिले में निर्यात प्रसंस्करण व सहकारी समितियों के माध्यम से पेट्रोल पप, गैस एजेंसी व चिल्ड्रन बैंक जैसी नवोन्मेषी गतिविधियों को अपनाएं - जिला कलेक्टर

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक (डीएलटीसी) एवं ''सहकार से समृद्धि'' सम्बन्धित बैठक जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें जिले के किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाये जाने के लिए निर्धारित व प्रचलित फसलवार ऋण मापदण्डों व पुनरावलोकन की समीक्षा करते हुए, जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने उपस्थित सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से सहकारिता विभाग के जरिए जारी दिशा-निर्देशानुसार विभिन्न नवाचारों के क्रियान्वयन पर बल देते हुए जिले में निर्यात प्रसंस्करण एवं सहकारी समितियों के माध्यम से पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी व चिल्ड्रन बैंक जैसी नवोन्मेषी गतिविधियों को अपनाने की बात कही हैं । बैठक के दौरान सीसीबी प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण ने जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष फसलवार लागत व्यय का विवरण एवं कृषि विभाग द्वारा सुझावित लागत व्यय विवरण का अध्ययन कर सदन से वर्ष 2025-26 के लिए फसलवार वित्तीय मापदण्डों का निर्धारण किये जाने का विवरण प्रस्तुत किया। वही बैठक में जिला सहकारी विकास समिति में हुए परिवर्तन सहित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए वर्षभर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों का अनुमोदन कर, कमेटी द्वारा आहोर पंचायत समिति के चरली में बहुउद्देशीय महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया हैं । इस दौरान जालोर सहकारी समितियां उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान, पशुपालन विभाग संयुक्त निदेशक डॉ. गिरधरसिंह सोढ़ा, जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 के पोस्टर का किया विमोचन

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में सहकारिता विभाग द्वारा जिले में वर्षभर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। जिसको लेकर बैठक में जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 के पोस्टर का विमोचन किया गया।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/- ☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code:
RMGB0000134

Google / Phonepay
9602473302

सदस्यता हेतु लिखें
Mo. 9602473302,
Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर, शनिवार, 1 मार्च 2025
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

गड़बड़ी करने वाली सोसायटी एवं ठेकेदारों के विरूद्ध करें कठोर कार्रवाई -सहकारिता मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। प्रदेश के जयपुर स्थित अपेक्स बैंक सभागार में राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ की समीक्षा बैठक में राजफैड अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने निर्देश दिए कि खरीद के लिए फरवरी माह के अंत तक प्रत्येक सोसायटी का टेण्डर अनिवार्य रूप से सम्पन्न किया जाए। टेण्डर प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र खोले जाने के निर्देश दिए। श्री दक ने कहा कि खरीद केन्द्रों की आवश्यकता का पूर्व में ही समीक्षा व आकलन कर पर्याप्त मात्रा में बारदाना का इंतजाम लिया जाए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि खरीद केन्द्रों पर मॉनिटरिंग टीम तैनात होनी चाहिए, ताकि सैम्पलिंग के नाम पर ठेकेदार या सोसायटी की मनमानी नहीं हो। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर आवश्यक रूप से विक्रेता किसानों की वीडियोग्राफी करवाई जाए। श्री दक ने गड़बड़ी करने वाली सोसायटी एवं ठेकेदारों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्ट करने व पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन केन्द्रों पर पूर्व में गड़बड़ी सामने आई है, उन्हें खरीद की अनुमति नहीं देने पर भी विचार किया जाए। बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल, राजफैड के प्रबंध निदेशक श्री टीकम चन्द बोहरा एवं संयुक्त शासन सचिव श्री दिनेश कुमार जांगिड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नैफेड से भुगतान की प्रक्रिया समय पर सपन्न करवाये जाने के निर्देश

श्री दक ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 90 दिवस में खरीद की अनुमति प्रदान की जाती है, लेकिन प्रयास हो कि इसे कम समय में ही पूरा कर लिया जाए। उन्होंने किसानों को उनकी उपज विक्रय का समय पर भुगतान करने एवं नैफेड से भुगतान की प्रक्रिया समय पर सम्पन्न करवाये जाने के भी निर्देश दिए। श्री दक ने राजफैड के पास उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने, गैस एजेंसी का समुचित रूप से संचालन करने, विधानसभा प्रश्नों का समय पर और समुचित जवाब देने और लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए।

12 वर्ष बाद जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक से किसानों को मिलेगा दीर्घकालीन ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य के सहकारिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक व सहकारिता विभाग की रजिस्ट्रार व प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप जालोर जिले में जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक को राज्य सरकारी भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। दीर्घकालीन साख संरचना में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से पुनर्वित्त मिलने के पश्चात् बैंक द्वारा 12 वर्ष बाद किसानों को दीर्घकालीन

ऋण वितरण किया जाएगा। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर सुनील वीरभान ने बताया कि काफी समय से बैंक को नाबार्ड से पुनर्वित्त मिलने के अभाव में योजनान्तर्गत ऋण वितरण नहीं हो पा रहा था। अब नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त जारी करने एवं एनसीडीसी द्वारा ब्याज दरों में कमी किये जाने के परिणामस्वरूप अब ऋण वितरण संभव हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप अनुदान योजना के तहत किसानों एवं लघु उद्यमियों को यह ऋण वितरण किया जायेगा जिसके फलस्वरूप भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋण मात्र 5.05 प्रतिशत एवं दीर्घकालीन अकृषि ऋण मात्र 7.05 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकेगा, जो अन्य बैंकों से अपेक्षाकृत कम है। राज्य सरकार का दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के पुनरूद्धार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ऋणी किसानों से अपील की है कि वे बैंक की ऋण वसूली में सहयोग करें तथा अपने बकाया ऋणों का चुकारा कर अपनी जमीन रहन मुक्त करवाकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

हनुमानगढ़ जिले में सहकारी समितियों को गोदाम आवंटन में अनियमितता की शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी - सहकारिता मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। हनुमानगढ़ जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम आवंटन प्रकिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत पाए

जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में सुशासन स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। किसी भी माध्यम से अनियमितता सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है। सहकारिता राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में गोदाम निर्माण में पाई गई अनियमितता के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य प्रबंधक, केंद्रीय सहकारी बैंक, हनुमानगढ़ को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई। इसके अलावा प्रधान कार्यालय स्तर से प्रत्येक जिले में निरीक्षक दलों द्वारा निरीक्षण भी करवाया गया। उन्होंने कहा कि गोदाम निर्माण के कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समितियों का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महती योजना च्सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजनाज् के तहत उन जिलों को प्राथमिकता दी जानी है, जिनमें भण्डारण क्षमता अपेक्षाकृत कम है। भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूची के अनुसार प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं कोटा जिले में उपज के अनुपात में भण्डारण क्षमता अपेक्षाकृत कम होने से इन जिलों में भण्डारण निर्माण को प्राथमिकता देते हुए श्रीगंगानगर में 17, हनुमानगढ़ में 15 एवं कोटा में 13 गोदाम स्वीकृत किये हैं। परिणामस्वरूप इन जिलों की भण्डारण क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले विधायक श्री संजीव कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में राजस्थान सरकार की बजट घोषणा अन्तर्गत प्रदेश की 211 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत अनुदान पर गोदाम निर्माण कराया जा रहा है। इस हेतु कुल 3832 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

पहली बार 35 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा 25 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण : सहकारिता मंत्री

नवीन 8 जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघों की स्थापना की महत्वपूर्ण घोषणा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। राज्य सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट 'आपणों अग्रणी राजस्थान' के संकल्प को साकार करने वाला है। समाज के हर वर्ग के कल्याण की मंशा के साथ लाये गए इस बजट में सहकारिता सेक्टर को सुदृढ़ बनाने का खाका भी पेश किया गया है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, कृषि एवं कृषक कल्याण, सहकारिता, उद्योग, आधारभूत ढांचे, युवा कल्याण और पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनसे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में जो घोषणाएं

की हैं, वह राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाती है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि बजट में सहकारिता सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए कई उल्लेखनीय घोषणाएं की गई हैं। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपये किए जाने एवं गेहूं खरीद पर बोनस की राशि बढ़ाकर 150 रुपए किए जाने से किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। फसली ऋण का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में पहली बार 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि सेक्टर के लिए 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि बजट में आगामी दो वर्ष में शेष रही 2,500 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए प्रावधानों में शिथिलन दिया जाएगा। साथ ही, नवीन 8 जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघों की स्थापना सहित अन्य कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बड़ी संख्या में नई सहकारी समितियां खुलने से गांव-ढाणी स्तर तक सहकारिता का नेटवर्क मजबूत होगा। इसके ब्याज अनुदान पर 768 करोड़ रुपये व्यय होंगे। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का भी दायरा बढ़ाते हुए 2.50 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही, इसके प्रावधानों का भी सरलीकरण होगा।

सहकारी बैंकों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपार्जित अवकाश प्रकरण वर्तमान में वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन

जयपुर । राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिक को देय लाभों में विलंब को लेकर विधायक कैलाश चंद्र वर्मा ने राजस्थान सोलहवी विधानसभा के तृतीय सत्र में विधानसभा सचिव को राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया, संचालन संबंधी नियम 131 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजा, जिसके प्रतिउत्तर में सहकारिता विभाग ने लिखित में बताया कि, सहकारी बैंकों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए 16वां वेतन समझौता वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद जारी किया गया हैं, जिसमें वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत बिन्दु संया 12 में कार्मिकों के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान, उपार्जित अवकाश जमा सीमा, सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के सबन्ध में प्रस्ताव अलग से भेजे जाने का प्रावधान है। जिसके क्रम में प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से 30 अगस्त 2024 को वित्त विभाग को भेजा गया हैं, जो वित्त विभाग स्तर पर परीक्षणाधी एवं प्रक्रियाधीन है। जबकि वित्त विभाग द्वारा 4 दिसंबर को प्रस्ताव के क्रम में बैंकों द्वारा जीवन बीमा या अन्य संस्था से पॉलिसी लिए जाने या पर्याप्त प्रावधान के संबंध में प्रशासनिक विभाग से सूचना चाही गई है। सहकारिता विभाग के मुताबिक वित्त विभाग स्तर से निर्णय होने पर तदानुसार आगामी कार्यवाही संपादित की जाएगी।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा 343041 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित। संपादक। मो. 9602473302। नोट : पीआरवी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी। (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा। समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा।